गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक-एफ 20-2/2002/दो-ए(3) भोपाल, दिनांक 17.9.2002

प्रति,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष
   मध्यप्रदेश.

विषय :- मंत्रालय में पदस्थ प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को कार्यालय एवं निवास हेतु दूरभाष आवंटन के संबंध में ।

संदर्भ :- गृह विभाग का परिपत्र क्रमांक-1273/2002/दो-ए(3), दिनांक 10 मई 2002.

-000-

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । मुख्य सचिव महोदय के आदेश क्रमांक-सीएस/जनरल-सी/100, दिनांक 10.4.2002 एवं गृह विभाग के आदेश क्रं0-1273/2002/दो-ए(3), दिनांक 10.5.2002 के संदर्भ में वल्लभ भवन के विभागों के टेलीफोन का काम पूर्णरूपेण संबंधित विभागों को सौंपा गया है एवं प्रत्येक विभाग अपने दूरभाष के लिए स्वीकृति एवं वित्तीय व्यवस्था अपने किसी एक विभागाध्यक्ष के माध्यम से करायेंगे । इस नयी व्यवस्था के परिणामस्वरूप केवल माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग एवं गृह विभाग के दूरभाष का कार्य ही गृह विभाग में रहेगा । उक्त निर्देशों के बावजूद भी दूरभाष की स्थापना एवं एस.टी.डी.सुविधा उपलब्ध कराने की मांग अभी भी कुछ विभागों द्वारा की जा रही है ।

2. अतः मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार कार्यालय एवं निवास हेतु दूरभाष की व्यवस्था कृपया अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से करायें । उक्त दूरभाष देयकों का भुगतान विभागाध्यक्ष को आवंटित बजट से किया जायेगा ।

(डी.के.जैन)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, गृह विभाग

....2..पर

पृष्ठांकन क्रमांक-एफ 20-2/2002/दो-ए(3)   भोपाल, दिनांक 17-9-2002

प्रतिलिपि:-

1/ महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, भोपाल.

2/ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल.

3/ मुख्य लेखा अधिकारी, मंत्रालय, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17/9

(डी.के. जैन)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, गृह विभाग